UPVR010052732025

IN The Court of **ADJ/F.T.C. (14th Finance Comm.) at, Varanasi**

P.O.– (Manoj Kumar -II), (HJS) – UP01827

फौजदारी निगरानी संख्या- 256/2025

1. हीरामनी देवी पत्नी राजेश कुमार सोनकर, पता जे 7/2 जेड-3 डिगिया गोपालगंज जैतपुरा, वाराणसी।

निगरानीकर्ती।

बनाम

1. राज्य उत्तर प्रदेश
2. मोबीन अंसारी पुत्र अज्ञात पता मंगलपुर थाना लोहता, जिला वाराणसी।

विपक्षीगण।

निर्णय

1- प्रस्तुत आपराधिक निगरानी, निगरानीकर्ती द्वारा न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या- 08, वाराणसी द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या- 4331/2024 हीरामनी देवी बनाम मोबीन अंसारी, अंतर्गत धारा- 138 एन.आई. एक्ट, थाना जैतपुरा, वाराणसी में पारित आदेश दिनांकित 02.05.2025 से क्षुब्ध होकर योजित की गई है।

2- प्रस्तुत प्रकरण में निगरानीकर्ती तथा विपक्षी संख्या 02 विगत कई तिथियों से न्यायालय उपस्थित नही आ रही है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सुस्थापित **विधि व्यवस्था जलालुद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2012(79) ACC 464** में यह अभिमत प्रकट किया गया है कि आपराधिक पुनरीक्षण पक्षकारों को सुनने की न्यायालय की शक्ति विवेकगत है। आपराधिक पुनरीक्षण में पक्षकारों को सुना जाना पक्षकारों का अधिकार नहीं है। अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण का निस्तारण, निगरानी व विचारण न्यायालय की पत्रावली के सम्यक् परिशीलन के उपरान्त तथा विपक्षी संख्या 01 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों के आधार पर किया जा रहा है ।

3- निगरानीकर्ती द्वारा अपने पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र में यह आधार लिया है कि निगरानीकर्ती ने विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.11.2024 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट में प्रस्तुत किया था, जिसे विचारण न्यायालय ने दिनांक 02.05.2025 को निरस्त कर दिया गया। निगरानीकर्ती ने विपक्षी संख्या 2 द्वारा किए गए अपराध अंतर्गत धरा 138 एन.आई. एक्ट का संज्ञान कराने व जरिए समन तलब करने हेतु परिवाद पत्र समक्ष न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अष्टम को प्रस्तुत किया था, जिसमें विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रदत्त एक चेक अनादरण की सूचना व अपराध का विवरण लिखित किया गया है। उक्त वाद समय व पूर्ण विधिक प्रक्रिया अनुसार दाखिल व दर्ज कराया गया। पैरा 7 में अभियुक्त द्वारा नोटिस प्राप्त न करने व नोटिस भेजे जाने के सम्पूर्ण प्रकरण का लिखित ब्योरा दिया गया है। विपक्षी द्वारा जानबूझकर डाक कर्मचारियों के मिली भगत से नोटिस प्राप्त करने में हिला

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.06.03 12:46:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हवाली किया जा रहा था। वाद उपरोक्त विपक्षी को नोटिस भेजे जाने के बाद दाखिल किया गया। प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट में कही से कोई त्रुटि न होने के उपरांत भी विचारण न्यायालय ने प्रार्थिनी के परिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों को सरसरी तौर पर नजर अंदाज करते हुए आदेश दिनांक 02.05.2025 "वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद वादिनी को वापस किया जाता है। तदनुसार प्रकीर्ण वाद संख्या 4331/2024 अंतर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट निस्तारित किया जाता है।" इस प्रकार का आदेश पारित किया गया है, जो पूरी तरह से निरस्त होने योग्य है। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थिनी/निगरानीकर्ती द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

4- विपक्षी संख्या 01 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा निगरानी की पत्रावली एवं विचारण न्यायालय की सम्पूर्ण पत्रावली एवं पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 02.05.2025 का परिशीलन किया।

5- विद्वान विचारण न्यायालय की प्रकीर्ण वाद संख्या 4331/2024 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ती द्वारा विपक्षी संख्या 02 मोबीन अंसारी के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट का विचारण कर दण्डित किये जाने हेतु परिवाद पत्र इस आधार पर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी व अभियुक्त के बीच पुराना व्यापारिक/कारोबारी सम्बन्ध है। अभियुक्त जरी/धागा का व्यापारी है। परिवादी से अभियुक्त ने कुल मु. 21000/- के जरी/धागा का क्रय किया था तथा उक्त साडी के एवज में अभियुक्त ने परिवादी को एक चेक बैंक आफ बड़ौदा शाखा मंगलपुर 221105 जिसका IFSC Code BARBOMANVAR का चेक जिसका (1) चेक संख्या 000028 दिनांक 25.09.2024 को मु. 21000/- रूपया को दिया। अभियुक्त ने परिवादी को यह भरोसा एवं विश्वास दिलाया था कि दिनांक 27.09.2024 को उक्त सभी चेक को परिवादी अपने खाते में लगाकर चेक का भुगतान अपने पक्ष करा लेगा। परिवादी, उक्त चेक दिनांक 27.09.2024 को अपने खाता सं0-50100670648431 एच.डी.एफ.सी. बैंक मकबूल आलम रोड़ वाराणसी पर चेक का भुगतान कराने गया, परन्तु उक्त चेक अनादरित हो गया। बैंक द्वारा चेक अनादरण का कारण विपक्षी/अभियुक्त "Funds insufficient" होना बताया गया। चेक के बिना भुगतान वापस हो जाने के सम्बन्ध में परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 22.10.2024 को एक रजिस्टर्ड नोटिस जरिए स्पीड पोस्ट/डाक अभियुक्त ने भेजवाया, उक्त नोटिस अभियुक्त को घर पर नही होने के कारण वापस कर दिया। दिनांक 24.10.2024 नोटिस देहिन्दा को प्राप्त हो गया। जिसका डाक पंजीयन सं0- RU256760878IN है। नोटिस प्राप्त कर लेने के बाद अभियुक्त ने परिवादी के चेक सम्बन्धित बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया जबकि उक्त रजिस्टर्ड नोटिस में यह स्पष्ट किया था कि 15 दिन के अन्दर चेक सम्बन्धित बकाया धनराशि का भुगतान आज तक नहीं किया गया। अभियुक्त का उद्देश्य परिवादी से सम्बन्धित धनराशि का बेइमानी से हड़प कर जाने का था। अभियुक्त द्वारा परिवादी को धोखा देने के उद्देश्य से बेइमानी की गरज से अभियुक्त द्वारा परिवादी को एक चेक प्रदत्त किया गया था। इस प्रकार अभियुक्त ने अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट को कारित किया है तथा नोटिस प्राप्त करने के बाद

अभियुक्त द्वारा परिवादी के चेक से सम्बन्धित बकाया धनराशि का भुगतान न करने के कारण परिवादी उक्त परिवाद के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 02.05.2025 के द्वारा वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद निरस्त किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर प्रस्तुत निगरानी योजित की गयी है।

6- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **अमित कपूर बनाम रमेश चन्दर तथा अन्य 2012 (3) जे0 आई 0 सी0 पृष्ठ 772 (सुप्रीम कोर्ट)** में यह उल्लिखित किया गया है कि रिवीजन न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक सीमित क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग नैत्यिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों एवं मामलों में करना चाहिये जहाँ परः

1. जिस निर्णय/आदेश को चुनौती दी गयी है, वह बिल्कुल विधि के विपरीत है,
2. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है,
3. बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष दिये गये हैं,
4. तात्विक साक्ष्य को अनदेखा किया गया है तथा
5. न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने तरीके से या तर्कों के विरूद्ध किया गया है।

7- प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 02.05.2025 के द्वारा परिवादी/निगरानीकर्ती का प्रकीर्ण वाद इस आधार पर निरस्त किया गया है कि "विपक्षी को चेक बाउंस होने की नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन की समाप्ति तक विपक्षी द्वारा धनराशि अदा न करने पर परिवादी को परिवाद प्रस्तुत करने का कार्यकारण प्रोद्भुत होता है तथा अंतर्गत धारा 142 पराक्रम्य लिखित अधिनियम कार्यकारण प्रोद्भुत होने की तिथि से 01 माह के अन्दर परिवाद प्रस्तुत होना चाहिए। वादिनी द्वारा संलग्न छायाप्रति रजिस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी को दिनांक 22.10.2024 को चेक बाउंस की सूचना भेजी गयी किन्तु विपक्षी को नोटिस प्राप्त नहीं हुई, किन्तु वादिनी द्वारा नोटिस का तामिला न होने पर भी न्यायालय में वाद दाखिल किया गया है। परक्राम्य लिखत अधिनियम के वाद में एक आवश्यक घटक को वादिनी द्वारा सरसरी तौर पर पर नजरअंदाज कर वाद प्रस्तुत किया गया। अतः विधिक नोटिस का तामीला पर्याप्त न होने के कारण प्रकीर्ण वाद को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना विधिसम्मत नहीं होगा।"

इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्ती/परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में विपक्षी मोबीन अंसारी का पता ग्राम मंगलपुर थाना लोहता जिला वाराणसी अंकित किया गया है ।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध डिमाण्ड नोटिस, रजिस्ट्री रसीद व नेट से प्राप्त स्टेटस रिपोर्ट तथा रजिस्ट्री लिफाफा के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि परिवादिनी/निगरानीकर्ती डिमाण्ड नोटिस विपक्षी मोबीन अंसारी को उसके सही पते पर पंजीकृत डाक से दिनांक 22.10.2024 को प्रेषित की गयी है, जो पोस्टमैन की इस टिप्पणी के साथ वापस प्राप्त हुई कि "प्राप्तकर्ता घर पर नही मिले, अतः वापस" ।

स्वीकृत रूप से धारा 138 एन.आई. एक्ट व जरनल क्लॉजेज एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट के अपराध हेतु कार्यवाही प्रारंभ किये जाने के लिये नोटिस दिया जाना आवश्यक शर्त है । उक्त नोटिस के तामिला के संबंध में धारा 27 जरनल क्लॉजेज एक्ट के अनुसार यदि नोटिस विपक्षी के सही पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की गयी है, तो उसे वैध तामिला माना जायेगा तथा प्रेषक को वास्तविक प्राप्ति साबित करने की आवश्यकता नही है, अर्थात नोटिस का तामिला वास्तविक रूप से अथवा कल्पित रूप से (Deemed Service) हो सकता है।

नोटिस के कल्पित तामिला (Deemed Service) के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुस्थापित विधि व्यवस्था **V. Rajkumari Vs. T. Subbarama Naidu 2005 (51) ACC 13 (SC)** में यह अवधारित किया गया है कि जहाँ पर प्रेषक द्वारा नोटिस प्रेषिती के सही पते पर भेजी गयी हो वहाँ पर नोटिस तामिल होना उपधारित की जायेगी जब तक की प्रेषिती यह साबित न कर दे कि उस पर वास्तविक रूप से तामिला नही हुआ है, तथा नोटिस के अदम तामिला के लिये वह जिम्मेदार नही है।

एक अन्य विधि व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुस्थापित विधि व्यवस्था **D. Vinod Shivappa vs. Nanda Belliappa, (2006) 6 SCC 456** में यह अभिमत प्रकट किया गया है कि धारा 138(बी) एन.आई. एक्ट के अनुपालन के संबंध में यह अवधारित किया गया है कि यदि नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की गयी है तथा उक्त नोटिस इंकारी, प्रेषिति के उपलब्ध न होने, मकान/दुकान बंद होने या प्रेषिति के शहर में न होने के टिप्पणी के साथ वापस प्राप्त हुई है, तो ऐसी दशाओं धारा 27 जरनल क्लॉजेज एक्ट की उपधारणा को दृष्टिगत रखते हुए नोटिस का तामिला होना प्रेषिति पर होना उपधारित किया जायेगा तथा इसके लिये परिवाद पत्र में इस बात का अंकन किया जाना आवश्यक नही है कि विपक्षी/अभियुक्त नोटिस के तामिला से बच रहा है अथवा नोटिस का तामिला न होने के लिये विपक्षी/अभियुक्त जिम्मेदार है।

8- प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्ट्री रसीद व डाक विभाग की स्टेटस रिपोर्ट तथा रजिस्ट्री लिफाफा से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा डिमाण्ड नोटिस विपक्षी/अभियुक्त मोबीन अंसारी के सही पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की गयी है, जो डाक विभाग द्वारा इस टिप्पणी के साथ वापस की गयी कि प्राप्तकर्ता घर पर नही मिले।

अतः उपरोक्त तथ्यों व धारा 27 जनरल क्लॉज़ेज़ एक्ट की उपधारणा व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रकट किये गये अभिमत के आलोक में यह उपधारणा की जायेगी कि परिवादी द्वारा प्रेषित नोटिस का विपक्षी/अभियुक्त पर हुआ है, जब तक कि विपक्षी/अभियुक्त द्वारा अन्यथा साबित न कर दिया जाये, अतः उपरोक्त विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट में उल्लेखित इस टिप्पणी कि "Item returned addressee cannot be located" के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि 'विपक्षी को नोटिस प्राप्त नही हुई है', विधि सम्मत नहीं है । अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में वैधता व औचित्य के संबंध में त्रुटि

विद्यमान है तथा इसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता है। फलतः प्रस्तुत की गयी दाण्डिक निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

9- प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी- 256/2025 स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.05.2025 अपास्त किया जाता है।

10- इस निर्णय की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि विद्वान विचारण न्यायालय इस आदेश में प्रकट किये गये संप्रेक्षण को ध्यान में रखते हुये परिवादी/निगरानीकर्ती को सुनवाई का समुचित अवसर देकर परिवाद पत्र की ग्राह्यता के संबंध में पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।

11- दाण्डिक निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांकः 03.06.2026

(मनोज कुमार-II)
अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी.(14 वॉ वित्त आयोग), वाराणसी।

12- यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

(मनोज कुमार-II)
अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी.(14 वॉ वित्त आयोग), वाराणसी।
जे0 ओ 0 कोड-यू0 पी0 1827

दिनांकः 03.06.2026
Steno- Shahbaz